(प्रपत्र–6(1))

कार्य का नाम :– सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 12/11/2018 को प्रश्नगत परियोजना के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री प्रवीन चन्द्र रमोला उप वन क्षेत्राधिकारी, श्री प्रेम प्रकाश पुरोहित वन दरोगा, श्री राजेन्द्र सिंह रावत वन दरोगा, श्री दिगपाल सिंह रावत वन बीट अधिकारी, श्री राजकुमार सैनी वन बीट अधिकारी, श्री पूरण सिंह रावत वन बीट अधिकारी एवं राजस्व विभाग की ओर श्री नरेन्द्र उनियाल राजस्व उप निरीक्षक/पटवारी, श्री बालकिशन राजस्व उप निरीक्षक/पटवारी प्रस्तावक विभाग की ओर से सहायक अभियन्ता श्री सुधीर सैनी, उप राजस्व अधिकारी श्री कुलदीप सिंह रावत , कनिष्ठ अभियन्ता श्री अमित वर्मा , सींचपाल श्री रकम सिंह राणा, सींचपाल श्री मालचन्द नेगी के द्वारा उपरोक्त परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक अवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता की दृष्टि से जो चयनित स्थल है, सर्वथा उपयुक्त पाया गया है, जिसमें डूब क्षेत्र हेतु 68.8210 है0, कन्ट्रोल रूम हेतु 0.5000 है0, स्टॉक पाईल 1 एवं 2 के लिए 14.2827 है0, बैचींग प्लान्ट हेतु 3.9716 है0, डम्पिंग हेतु 4.6965 है, कॉलोनी हेतु 2.5576 है0, नये मोटर मार्ग बांध क्षेत्र हेतु 7.0275 है0, पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के चौडीकरण हेतु 6.3300 है0, क्वायरी हेतु 4.6143 है0 तथा पाईप लाइन हेतु 14.8700 कुल 127.6712 है0 वन भूमि प्रभावित होगी

उपरोक्त परियोजना हेतु रायपुर एवं मसूरी रेंज के अन्तर्गत कुल 4.2640 हैक्टेयर नाप भूमि, 6.8762 है0 सिविल सोयम भूमि, 4.3256 हैक्टेयर जलमग्न भूमि, 2.8130 है0 वन पंचायत भूमि एवं 51.0319 है0 आरक्षित वन भूमि, वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिसमें रायपुर एवं मसूरी रेंज के अन्तर्गत कुल 65.0467 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित परियोजना हेतु उक्त प्रस्तावित भूमि में वृक्षों की गणना की गई जिसमें विभिन्न प्रजातियों के 624 वृक्ष सिविल सोयम/जलमग्न भूमि, 53 वृक्ष वन पंचायत भूमि, 5183 वृक्ष आरक्षित वन भूमि रायपुर एवं मसूरी रेंज एवं 218 वृक्ष नाप भूमि (कुल 6078 वृक्ष) परियोजना के निर्माण में प्रभावित होगें। जिसमें बांज प्रजाति के शून्य वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित स्थल के वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एंव उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही है तथा इस चुने गये स्थल में वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त परियोजन स्थल रायपुर रेंज के कुण्ड कक्ष सं0 7 एवं 5सी, रिंगालगड कक्ष सं0 1,7 द्वारा वन ब्लॉक कक्ष सं0 2 एवं 3 द्वारा वन ब्लॉक कक्ष सं0 7 एवं 6 तथा मसूरी रेंज के अन्तर्गत है। इस कक्ष की वर्तमान वन आच्छादन .... है एव इस कक्ष में विभिन्न. प्रजाति के वन है। प्रभावित होने वाले नाप, सिविल, वन पंचायंत एंव आरक्षित वन भूमि पर खैर, साल, रोमल, शिशम, रोहणी, भीमल, गेंठी, कचनार जामुन आदि प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहें है।

चुने गये परियोजना स्थल के GPS का मान जिओ रिफ्रेन्स डिजिटल मानचित्र में दर्शाये गये है, जो इस प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

चयनित समरेंखण में कुल ..... पौधों को अन्य स्थान पर स्थान्तरित किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित समरेंखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नही हैं।

चयनित समरेंखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा।

इस परियोजना के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु मक डिस्पोजल स्थल उपयुक्त पाये गये जिनका का GPS मान जिओ रिफ्रेन्स डिजिटल मानचित्र में दर्शाये गये हैं।

अतः उक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित है।

ह0/– (प्रयोक्ता एजेन्सी) सहायक अभि. (प्रयोक्तारण-सी) अधिशासी अभियन्ता अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड	ह0/– राजस्व विभाग प्रतिनिधि	उप जि. निर्वाचन अधिकारी धनोल्टी	ह0 वन विभाग प्रतिनिधि वन क्षेत्राधिकारी रायपुर रेंज मसूरी वन प्रभाग
वनक्षेत्राधिकारी रायपुर रेंज	वनक्षेत्राधिकारी मसूरी रेंज	तहसीलदार धनोल्टी	उपजिलाधिकारी धनोल्टी
उप–प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग			

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(प्रपत्र–6(2))

कार्य का नाम :– सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 12/11/2018 को प्रश्नगत परियोजना के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री केशव सिंह नेगी अनुभाग अधिकारी एवं श्री माधो सिंह पंवार वन बीट अधिकारी एवं राजस्व विभाग की ओर मिनाक्षी कठैत राजस्व उप निरीक्षक/पटवारी एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से सहायक अभियन्ता श्री सुधीर सैनी, उप राजस्व अधिकारी श्री कुलदीप सिंह रावत , कनिष्ठ अभियन्ता श्री अमित वर्मा , सींचपाल श्री रकम सिंह राणा एवं सींचपाल श्री मालचन्द नेगी के द्वारा उपरोक्त परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक अवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता की दृष्टि से जो चयनित स्थल है, सर्वथा उपयुक्त पाया गया है, जिसमें डूब क्षेत्र हेतु 68.8210 है0, कन्ट्रोल रूम हेतु 0.5000 है0, स्टॉक पाईल 1 एवं 2 के लिए 14.2827 है0, बैचींग प्लान्ट हेतु 3.9716 है0, डम्पिंग हेतु 4.6965 है, कॉलोनी हेतु 2.5576 है0, नये मोटर मार्ग बांध क्षेत्र हेतु 7.0275 है0, पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के चौडीकरण हेतु 6.3300 है0, क्वायरी हेतु 4.6143 है0 तथा पाईप लाइन हेतु 14.8700 कुल 127.6712 है0 वन भूमि प्रभावित होगी

उपरोक्त परियोजना हेतु थानो रेंज के अन्तर्गत कुल 6.3370 हैक्टेयर नाप भूमि, 20.1311 है0 सिविल सोयम भूमि, 7.8900 हैक्टेयर जलमग्न भूमि तथा 34.6034 है0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिसमें कुल 62.6245 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित परियोजना हेतु उक्त प्रस्तावित भूमि में वृक्षों की गणना की गई जिसमें विभिन्न प्रजातियों के 789 वृक्ष सिविल सोयम/जलमग्न भूमि, 1819 वृक्ष आरक्षित वन भूमि थानों रेंज एवं 95 वृक्ष नाप भूमि (कुल 2703 वृक्ष) परियेाजना के निर्माण में प्रभावित होगें। जिसमें बांज प्रजति के शून्य वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित स्थल के वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एंव उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही है तथा इस चुने गये स्थल में वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त समरेंखण थानो रेंज कोटी घुडसाल वन ब्लॉक कक्ष सं0 1 एवं 2, पत्थरखान वन ब्लॉक कक्ष सं0 2, मालकोट 7 एवं 8 तथा प्लेड वन ब्लॉक कक्ष सं0 1 वन बीट के अन्तर्गत आता है। इस कक्ष को वर्तमान वन आच्छादन .... है एंव इस कक्ष में विभिन्न प्रजाति के वन है। खैर, साल, सेमल, शिशम, रोहणी, भीमल, गेठी, कचनार जामुन आदि प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहें हैं।

चुने गये परियोजना स्थल के GPS का मान जिओ रिफ्रेन्स डिजिटल मानचित्र में दर्शाये गये है, जो इस प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

चयनित समरेंखण में कुल ..... पौधों को अन्य स्थान पर स्थान्तरित किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित समरेंखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नही हैं।

चयनित समरेंखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा।

इस परियोजना के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु मक डिस्पोजल स्थल उपयुक्त पाये गये जिनका का GPS मान जिओ रिफ्रेन्स डिजिटल मानचित्र में दर्शाये गये हैं।

अतः उक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित है।

ह0/– (प्रयोक्ता एजेन्सी) अधिशासी अभियन्ता अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड ऋषिकेश	ह0/– राजस्व विभाग प्रतिनिधि राजस्व उप निरीक्षक बालकिशन राजस्व उपनिरीक्षक	ह0/– वन विभाग प्रतिनिधि

वनक्षेत्राधिकारी थानो रेंज	तहसीलदार देहरादून	तहसीलदार डोईवाला	उपजिलाधिकारी देहरादून	उपजिलाधिकारी डोईवाला 26/4/19	उप–प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग

प्रति हस्ताक्षरित जिलाधिकारी देहरादून	जिलाधिकारी	प्रति हस्ताक्षरित प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक-1408/12–1, दिनांकः मसूरी, 03 नवम्बर, 2018।.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, ऋषिकेश (देहरादून)।

विषयः— **प्रस्तावित सौंग बॉध परियोजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के चिन्हीकरण एंव हस्तान्तरण हेतु संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :— इस कार्यालय की पत्र सं0 3339/12–1, दिनांक 26 मार्च, 2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में आपकी पत्र संख्या 323/अ0पु0ख0ऋ0/2018, दिनांक 23–02–2018 के कम में प्रभागीय पत्र सं0 3339/12–1, दिनांक 26–03–2018 द्वारा प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि के स्थलीय संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 02–04–2018 प्रातः 11.00 बजे की तिथि निर्धारित करते हुए सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग, राजस्व विभाग तथा क्षेत्रीय वनाधिकारियों को सूचित किया गया था। प्रकरण में वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर ने अपने पत्र सं0 1014/12–1, दिनांक 30 अप्रैल 2018 से अवगत कराया है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु दि0 2–4–2018 को निर्धारित तिथि को प्रस्तावक विभाग का कोई अधिकारी /कर्मचारी (प्रतिनिधि) मौके पर उपस्थित न होने के कारण स्थलीय संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही नहीं की जा सकी। इसी सन्दर्भ में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनीकीरेती का पत्र सं0 402/12–1, दिनांक 10–08–2018(प्रति संलग्न) जो कि आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित परियोजना स्थल मसूरी वन प्रभाग की रायपुर रेंज अन्तर्गत अवस्थित है तथा मसूरी वन प्रभाग से पत्रांचार हेतु लिखा गया है। किन्तु प्रस्तावक विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि के स्थलीय संयुक्त निरीक्षण हेतु पुनः दिनांक 12–11–2018 प्रातः 11.00 बजे निर्धारित की जाती है। कृपया प्रश्नगत् परियोजना के निर्माण हेतु (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत) वांछित वन भूमि के स्थलीय संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही में अपने अधीनस्थ सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को मय अभिलेखों के निर्धारित तिथि व समय पर मौके पर भेजने का कष्ट करें, साथ ही राजस्व विभाग व प्राईवेट भू–स्वामियों (यदि कोई हों) को भी मौके पर उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से अग्रिम रूप से सूचित करने का कष्ट करें। प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि को न्यूनतम रखने एंव प्रस्तावित स्थल पर कोई वृक्ष वाधक हों उनकी संख्या कम से कम रखने के लिऐ पर्यावरणीय दृष्टि से विचार किया जाना होगा।

संलग्न – उक्तानुसार।

भवदीय

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(राजीव धीमान,भा.व.से.)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1408 /दिनांकित।

प्रतिलिपि —1. उप जिलाधिकारी, धनोल्टी टिहरी गढ़वाल को विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित भूमि के स्थलीय संयुक्त निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों को निर्धारित तिथि पर मय अभिलखो के मौके पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. उप प्रभागीय वनाधिकारी(देहरादून) मसूरी वन प्रभाग को इस आशय से प्रेषित कि विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित भूमि के स्थलीय संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही में मौके पर उपस्थित रहने हेतु का कष्ट करें।

3. वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि का प्रस्तावक विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ उक्तानुसार मय अभिलेखों के स्थलीय संयुक्त निरीक्षण करना सुनिश्चित करें, तथा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट निर्धारित प्रारूप जिसमें भूमि की वैधानिक स्थिति, स्वामित्व, प्रस्तावित स्थल पर अवस्थित वृक्षों एंव वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की प्रजाति/व्यासवर्गवार गणना एंव मूल्यांकन सूची (यदि कोई हों) तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एंव वांछित अभिलेख प्रस्तावक विभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा सकें।

अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड
प्राप्ति सं0 2906
दिनांक 12/11/2018

संग्रणक

(राजीव धीमान,भा.व.से.)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(25)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail :- dfonnagar-forest-uk@nic.in Tel./Fax :- 0135-2442052

पत्रांकः- /12-1, दिनांक, मुनिकीरेती. 10/08/2018

अधिशासी अभियन्ता,
अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड,
ऋषिकेश।

विषय :- प्रस्तावित सौंग बांध परियोजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के चिन्हीकरण एवं स्थानान्तरण हेतु संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक संख्या 1035/अ0 (पु0) ख0 ऋ0/2018 दिनांक 18.06.2018 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धित राजि अधिकारी सकलाना द्वारा करवाया गया उनके द्वारा अपने पत्रांक संख्या-75/12-1 दिनांक 01-08-2018 से अवगत कराया गया कि उक्त स्थल नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत नहीं पड़ता है। उक्त स्थल मसूरी वन प्रभाग, मसूरी का हिस्सा है।

अतः उक्त प्रस्तावित स्थल के संयुक्त निरीक्षण हेतु मसूरी वन प्रभाग मसूरी से पत्राचार करने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः- 402 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मय संलग्नकों के प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि :-

10.8.18
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

मसूरी वन प्रभाग
प्राप्ति सं. 1280
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 21/8/018
शाखा ...
प्रभागीय वनाधिकारी